षोडश माला, खंड 7, अंक 1 **सोमवार, 23 फरवरी, 2015**
4 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

इंदु बक्शी
संयुक्त निदेशक

अजय शर्मा
संपादक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड **7,** चौथा सत्र**, 2015 / 1936 (**शक**)**
अंक **1,** सोमवार**, 23** फरवरी**, 2015 / 4** फाल्गुन**, 1936 (**शक**)**

विषय	पृष्ठ संख्या
सोलहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	4-27
लोक सभा के पदाधिकारी	28
मंत्रिपरिषद	29-36
राष्ट्रगान	38
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	38
राष्ट्रपति का अभिभाषण	39-54
अध्यक्ष द्वारा घोषणा **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन**	55
निधन संबंधी उल्लेख	56-59
सभा पटल पर रखे गए पत्र	60-61

सोलहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश सी. (बेलागावी)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजमल, श्री बदरुद्दीन (धुबरी)

अजमल, श्री सिराजुद्दीन (बारपेटा)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अधिकारी, श्री दीपक (देव) (घाटल)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार (कांथी)

अधिकारी, श्री सुवेन्दू (तामलुक)

अनन्तकुमार, श्री (बैंगलोर दक्षिण)

अनवर, श्री तारिक (कटिहार)

अमरप्पा, श्री कारादी सनगन्ना (कोप्पल)

अरूणमणिदेवन, श्री ए. (कुड्डालोर)

अली, श्री इदरिस (बसीरहाट)

अहमद, श्री ई. (मलप्पुरम)

अहमद, श्री सुल्तान (उलूबेरिया)

अहलावत, श्रीमती संतोष (झुंझुनू)

अहलुवालिया, श्री एस.एस. (दार्जिलिंग)

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम (चन्द्रपुर)

आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री एल.के. (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला)

इन्नोसेन्ट, श्री (चालाकुडी)

इरिंग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

उटवाल, श्री मनोहर (देवास)

उदयकुमार, श्री एम. (डिण्डीगुल)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

उद्दीन, श्री तसलीम (अररिया)

उसेंडी, श्री विक्रम (कांकेर)

एन्टोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

एलुमलाई, श्री वी. (अरानी)

एल्लैया, श्री नन्दी (नगर कुरनूल)

ओराम, श्री जुएल (सुंदरगढ़)

ओवैसी, श्री असादुद्दीन (हैदराबाद)

कटारिया, श्री रत्न लाल (अम्बाला)

कटील, श्री नलीन कुमार (दक्षिण कन्नड़)

कठेरिया, डॉ. रामशंकर (आगरा)

करूणाकरन, श्री पी. (कासरगौड)

कर्रा, श्री तारिक हमीद (श्रीनगर)

कलवकुंतला , श्रीमती कविता (निजामाबाद)

कश्यप, श्री दिनेश (बस्तर)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राहुल (चुरू)

कामराज, डॉ. के. (कल्लाकुरिची)

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा (उदुपी चिकमगलूर)

किंजरापु, श्री राम मोहन नायडू (श्रीकाकुलम)

किशोर, श्री कौशल (मोहनलालगंज)

किशोर, श्री जुगल (जम्मू)

कीर्तिकर, श्री गजानन (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

कुंदरिया ,श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई (राजकोट)

कुमार, कुँवर सर्वेश (मुरादाबाद)

कुमार, डॉ. अरूण (जहानाबाद)

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री अश्विनी (करनाल)

कुमार, श्री के. अशोक (कृष्णागिरी)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री धर्मेन्द्र (ऑवला)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री बी. विनोद (करीमनगर)

कुमार, श्री शान्ता (कांगड़ा)

कुमार, श्री शैलेश (भागलपुर)

कुमार, श्री संतोष (पूर्णिया)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मंडला)

कुशवाहा ,श्री रविन्दर (सलेमपुर)

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र (काराकाट)

कैसर, चौधरी महबूब अली (खगड़िया)

कोली, श्री बहादुर सिंह (भरतपुर)

कोश्यारी ,श्री भगत सिंह (नैनीताल-उधम सिंह नगर)

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र (सोनीपत)

क्रिष्टप्पा, श्री एन. (हिन्दुपुर)

खंडूड़ी एवीएसएम , मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई (रावेर)

खान ,श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा (मुर्शिदाबाद)

खान, श्री सौमित्र (बिशनपुर)

खालसा, श्री हरिंदर सिंह (फतेहगढ़ साहिब)

खुबा, श्री भगवंत (बीदर)

खेर, श्रीमती किरण (चंडीगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद)

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गडकरी, श्री नितिन (नागपुर)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गल्ला, श्री जैदेव (गुंटूर)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्री धर्म वीर (पटियाला)

गांधी, श्री फिरोज़ वरुण (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका संजय (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम (लातूर)

गायकवाड़, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ (उस्मानाबाद)

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार (नन्दुरबार)

गिरी, श्री महेश (पूर्वी दिल्ली)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीता, श्रीमती कोथापल्ली (अराकु)

गीते, श्री अनन्त गंगाराम (रायगढ़)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (इलाहाबाद)

गुप्ता, श्री सुधीर (मंदसौर)

गुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

गूर्जर, श्री कृष्णपाल (फरीदाबाद)

गोगोई, श्री गौरव (कलियाबोर)

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम (नासिक)

गोपाल, डॉ. के. (नागापट्टिनम)

गोपालकृष्णन, श्री आर. (मदुरै)

गोपालकृष्णन, श्री सी. (नीलगिरी)

गोहेन, श्री राजेन (नौगोंग)

गौड, डॉ. बूरा नरसैय्या (भोंगीर)

गौड़ा, श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे (टुमकुर)

गौड़ा, श्री डी. वी. सदानन्द (बैंगलोर उत्तर)

गौतम, श्री सतीश कुमार (अलीगढ़)

घोष, श्रीमती अर्पिता (बालूरघाट)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गौहाटी)

चन्द, श्री निहाल (गंगानगर)

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह (आनंदपुर साहिब)

चन्देल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह (हमीरपुर)

चन्द्रप्पा, श्री बी.एन. (चित्रदुर्ग)

चन्द्राकाशी, श्री एम. (चिदम्बरम)

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव (नांदेड़)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी (कच्छ)

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार (इरोड)

चुड़ासमा, श्री राजेशभाई (जूनागढ़)

चौटाला, श्री दुष्यंत (हिसार)

चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर रंजन (बहरामपुर)

चौधरी, श्री ए. एच. खान (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री जितेन्द्र (त्रिपुरा पूर्व)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री पी. पी. (पाली)

चौधरी, श्री बाबूलाल (फतेहपुर सीकरी)

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार (झंझारपुर)

चौधरी, श्री राम टहल (राँची)

चौधरी, श्री संतोख सिंह (जालंधर)

चौधरी, श्री सी. आर. (नागौर)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौबे, श्री अश्विनी कुमार (बक्सर)

चौहान, श्री देवुसिंह (खेड़ा)

चौहान, श्री नन्दकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री पी. पी. (पंचमहल)

छेवांग, श्री थुपस्तान (लद्दाख)

छोटेलाल, श्री (राबर्ट्सगंज)

जटुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जयदेवन, श्री सी.एन. (त्रिस्सूर)

जयवर्धन, डॉ. जे. (चेन्नई दक्षिण)

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम (सूरत)

जाट , प्रो. सांवर लाल (अजमेर)

जाधव , श्री संजय हरिभाऊ (परभणी)

जाधव, श्री प्रतापराव (बुलढाणा)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जिगाजिनागि, श्री रमेश (बीजापुर)

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार (बालासोर)

जॉर्ज, एडवोकेट जोएस (इडुक्की)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (कानपुर)

जोशी, श्री चन्द्र प्रकाश (चित्तौड़गढ़)

जोशी, श्री प्रह्लाद (धारवाड़)

जौनापुरिया ,श्री सुखबीर सिंह (टोंक-सवाई माधोपुर)

ज्योति, साध्वी निरंजन (फतेहपुर)

टम्टा, श्री अजय (अल्मोड़ा)

टीचर, श्रीमती पी. के. श्रीमथि (कन्नूर)

टेनी, श्री अजय मिश्रा (खीरी)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर)

ठाकुर, श्रीमती ममता (बनगॉव)
ठाकुर, श्रीमती सावित्री (धार)

डे (नाग), डॉ. रत्ना (हुगली)

डेका, श्री रेमन (मंगलदाई)

तंबिदुरै, डॉ. एम. (करूर)

तंवर, श्री कंवर सिंह (अमरोहा)

तडस, श्री रामदास सी. (वर्धा)

तराई, श्रीमती रीता (जाजपुर)

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद (जोरहट)

तिर्की, श्री दशरथ (अलीपुरद्वारस)

तिवारी, श्री मनोज (उत्तर पूर्व दिल्ली)

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी (रामटेक)

तेली, श्री रामेश्वर (डिब्रूगढ़)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (ग्वालियर)

त्रिपाठी, श्री शरद (संत कबीर नगर)

त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)

थरूर, डॉ. शशि (तिरूवनन्तपुरम)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद (त्रिपुरा पश्चिम)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल (जालना)

दिवाकर, श्री राजेश कुमार (हाथरस)

दुबे, श्री निशिकान्त (गोड्डा)

दुबे, श्री सतीश चंद्र (वाल्मीकिनगर)

देव, कुमारी सुष्मिता (सिल्चर)

देव, श्री अर्का केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह (बोलंगीर)

देवगौड़ा, श्री एच. डी. (हसन)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवी, श्रीमती वीणा (मुंगेर)

दोहरे, श्री अशोक कुमार (इटावा)

द्विवेदी, श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश (बस्ती)

धर्मवीर, श्री (भिवानी महेन्द्रगढ़)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बैतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नगेश, श्री गोडम (आदिलाबाद)

नट्टर्जी, श्री जे. जे. टी.(थूथुकुडी)

नरसिम्हम, श्री थोटा (काकीनाडा)

नाईक, श्री बी.वी. (रायचूर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागर, श्री रोड़मल (राजगढ़)

नागराजन, श्री पी. (कोयम्बटूर)

नाथ, श्री कमल (छिंदवाड़ा)

नाथ, श्री चाँद (अलवर)

नायक, प्रो. ए. एस. आर. (महबूबाबाद)

निशंक, डॉ.रमेश पोखरियाल (हरिद्वार)

निषाद, श्री अजय (मुजफ्फरपुर)

निषाद, श्री राम चरित्र (मछलीशहर)

नूर, श्रीमती मौसमी (माल्दहा)

नेते, श्री अशोक महादेवराव (गड़चिरोली-चिमुर)

पटेल, डॉ. के.सी. (वलसाड)

पटेल, श्री दिलीप (आनन्द)

पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (दमोह)

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री सुभाष (खरगौन)

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया (मिर्जापुर)

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (मेहसाणा)

पटोले, श्री नाना (भन्डारा-गोंदिया)

पन्नीरसेलवम, श्री वी. (सलेम)

परसुरमन, श्री के. (तंजावुर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

पांडा, श्री बैजयंत जे. (केन्द्रपाड़ा)

पाटले, श्रीमती कमला (जांजगीर-चाम्पा)

पाटसाणी, श्री प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, श्री कपिल मोरेश्वर (भिवंडी)

पाटील, श्री भीमराव बी. (जहीराबाद)

पाटील, श्री संजय काका (सांगली)

पाटील, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाटील,श्री ए. टी. नाना (जलगांव)

पाठक, श्रीमती रीती (सीधी)

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ (चन्दौली)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पाण्डेय, श्री राजेश (कुशीनगर)

पाण्डेय, श्री हरि ओम (अम्बेडकर नगर)

पार्थिपन, श्री आर. (थेनी)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री तापस (कृष्णानगर)

पाला, श्री विनसेंट एच. (शिलौंग)

पासवान, श्री कमलेश (बासगाँव)

पासवान, श्री चिराग (जमुई)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री राम चन्द्र (समस्तीपुर)

पासवान, श्री रामविलास (हाजीपुर)

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा (आरामबाग)

प्रताप, श्री कृष्ण (जौनपुर)

प्रधान, श्री नागेन्द्र कुमार (संबलपुर)

प्रबाकरन, श्री के.आर.पी. (तिरूनेलवेली)

प्रसाद, डॉ. भागीरथ (भिंड)

प्रेमचन्द्रन, श्री एन. के. (कोल्लम)

फतेपारा, श्री देवजीभाई गोविंदभाई (सुरेन्द्रनगर)

फूले, साध्वी सावित्री बाई (बहराइच)

फैजल, मोहम्मद (लक्षद्वीप)

बक्शी, श्री सुब्रत (कोलकाता दक्षिण)

बनर्जी, श्री अभिषेक (डायमण्ड हार्बर)

बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)

बनर्जी, श्री प्रसून (हावड़ा)

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारूति (शोलापुर)

बन्दोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)

बर्मन, श्री बिजय चन्द्र (जलपाईगुड़ी)

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद (पोन्नानी)

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र (भीलवाड़ा)

बाइटे, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)

बाबू , डॉ. रविन्द्र (अमलापुरम)

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा (मावल)

बाला, श्रीमती अंजू (मिश्रिख)

बालियान, डॉ. संजीव (मुजफ्फरनगर)

बिजू, श्री पी. के. (अलथूर)

बिधूड़ी, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

बिरला, श्री ओम (कोटा)

बिश्वास, श्री राधेश्याम (करीमगंज)

बेग, श्री मुज़फ्फर हुसैन (बारामुल्ला)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बोस, प्रो. सुगत (जादवपुर)

बोहरा, श्री रामचरण (जयपुर शहर)

ब्रह्मपुरा, श्री रनजीत सिंह (खडूर साहिब)

भगत, श्री सुदर्शन (लोहरदगा)

भगत, श्री बोध सिंह (बालाघाट)

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन (वडोदरा)

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई (दाहोद)

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव (धुले)

भारती मोहन, श्री आर.के. (मइलादुथुरई)

भारती, सुश्री उमा (झांसी)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री छ. उदयनराजे (सतारा)

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह (अकबरपुर)

मंडल, डॉ. तापस (रणघाट)

मणि, श्री जोस के. (कोट्टयम)

मण्डल , श्री सुनील कुमार (बर्धमान-पूर्व)

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा (जयनगर)

मरगथम, श्रीमती के. (कांचीपुरम)

मराबी , श्री कमल भान सिंह (सरगुजा)

मरुदराजा, श्री आर.पी. (पेरम्बलुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, डॉ. बंशीलाल (कोरबा)

महतो, डॉ. मृगांका (पुरूलिया)

महतो, श्री विद्युत वरण (जमशेदपुर)

महाजन, श्रीमती पूनम (उत्तर मध्य मुम्बई)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)

महाडीक, श्री धनंजय (कोल्हापुर)

महापात्रा, डॉ. सिद्धांत (बरहामपुर)

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी (उन्नाव)

महेंद्रन, श्री सी. (पोल्लाची)

मांझी, श्री हरि (गया)

माझी , श्री बलभद्र (नबरंगपुर)

माडम, श्रीमती पूनमबेन (जामनगर)

मान, श्री भगवंत (संगरूर)

मालवीय, प्रो. चिंतामणि (उज्जैन)

मिश्र, श्री कलराज (देवरिया)

मिश्र, श्री जनार्दन (रीवा)

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद (बांदा)

मिश्रा, श्री अनूप (मुरैना)

मिश्रा, श्री दद्दन (श्रावस्ती)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मीणा, श्री अर्जुन लाल (उदयपुर)

मीणा, श्री हरीश (दौसा)

मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुंडे, डॉ.प्रीतम गोपीनाथ (बीड)

मुखर्जी, श्री अभिजित (जंगीपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनन्तनाग)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मेन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिक्कबल्लापुर)

मोदी, श्री नरेन्द्र (वाराणसी)

मोहन, श्री एम. मुरली (राजामुन्दरी)

मोहन, श्री पी. सी. (बैंगलौर केन्द्रीय)

मौर्य, श्री केशव प्रसाद (फूलपुर)

यादव, श्री अक्षय (फिरोजाबाद)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सीवान)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (बाँका)

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूँ)

यादव, श्री मुलायम सिंह (आजमगढ़)

यादव, श्री राम कृपाल (पाटलीपुत्र)

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण (सागर)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

यादव, श्रीमती डिम्पल (कन्नौज)

येदियुरप्पा, श्री बी. एस. (शिमोगा)

रंजन, श्री राजेश (मधेपुरा)

रंजन, श्रीमती रंजीत (सुपौल)

रदाडीया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

राई, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राऊत, श्री विनायक भाऊराव (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग)

राघवन, श्री एम. के. (कोझिकोड)

राज, डॉ. उदित (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)

राज, श्रीमती कृष्णा (शाहजहाँपुर)

राजपूत, श्री मुकेश (फर्रूखाबाद)

राजभर, श्री हरिनरायन (घोसी)

राजा, श्री ए. अनवर (रामनाथपुरम)

राजू, श्री अशोक गजपति (विज़ियानगरम)

राजू, श्री गोकाराजू गंगा (नरसापुरम)

राजू, श्री सी.एस. पुट्टा (मान्डया)

राजेन्द्रन, श्री एस. (विलुप्पुरम)

राजेश, श्री एम. बी. (पालक्काड)

राजोरिया, डॉ. मनोज (करौली-धौलपुर)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री डी. एस. (साबरकांठा)

राठौड़, श्री हरिओम सिंह (राजसमन्द)

राठौर, कर्नल राज्यवर्धन (जयपुर ग्रामीण)

राधाकृष्णन, श्री आर. (पुडुचेरी)

राधाकृष्णन, श्री टी. (विरुधुनगर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (कन्याकुमारी)

राम, श्री जनक (गोपालगंज)

राम, श्री विष्णु दयाल (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री के. एन. (श्रीपेरुम्बुदुर)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामादोस, डॉ. अंबुमनी (धर्मापुरी)

राय, प्रो. सौगत (दमदम)

राय, श्री नित्यानन्द (उजियारपुर)

राय, श्री बिष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

राय, श्री रवीन्द्र कुमार (कोडरमा)

राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)

राय, श्रीमती संध्या (मेदीनिपुर)

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अनाकापल्ली)

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर (इलुरू)

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण (मछलीपटनम)

राव, श्री रायपति सम्बासिवा (नरसाराओपेट)

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह (बाराबंकी)

रावल, श्री परेश (अहमदाबाद-पूर्व)

रिओ, श्री नेफिउ (नागालैंड)

रिजीजू, श्री किरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (सारण)

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नन्दयाल)

रेड्डी, श्री कुण्डा विश्वेश्वर (चेवेल्ला)

रेड्डी, श्री कोथा प्रभाकर (मेडक)

रेड्डी, श्री गुत्था सुकेंद्र (नलगोन्डा)

रेड्डी, श्री चामाकुरा मल्ला (मलकाजगिरी)

रेड्डी, श्री जे.सी. दिवाकर (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास (खम्माम)

रेड्डी, श्री पी.वी. मिदून (राजमपेट)

रेड्डी, श्री मेकापति राज मोहन (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री वाई. वी. सुब्बा (ओंगोले)

रेड्डी, श्री वाई.एस. अविनाश (कडापा)

रेणुका, श्रीमती बुत्ता (कुरनूल)

रोड़ी , श्री चरणजीत सिंह (सिरसा)

लखनपाल, श्री राघव (सहारनपुर)

लागुरी, श्रीमती सकुंतला (क्योंझर)

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी (नई दिल्ली)

लोखंडे, श्री सदाशिव (शिर्डी)

वनरोजा, श्रीमती आर. (तिरुवन्नमलाई)

वर्धन, डॉ. हर्ष (चाँदनी चौक)

वर्मा, डॉ. अंशुल (हरदोई)

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह (पश्चिमी दिल्ली)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती देव (बंकुरा)

वर्मा, श्रीमती रेखा (धौरहरा)

वसन्ती, श्रीमती एम. (तेनकासी)

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई (बारदौली)

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई (भरूच)

वांगा, श्री चिन्तामन नावाशा (पालघर)

वाघेला, श्री एल. के. (पाटन)

विचारे, श्री राजन (ठाणे)

विजय कुमार, श्री एस. आर. (चेन्नई केन्द्रीय)

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी. (चेन्नई उत्तर)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

वेणुगोपाल, श्री के. सी. (अलप्पुझा)

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव (तिरुपति)

शंकरराव, श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह (माढा)

शनवास, श्री एम. आई. (वायनाड)

शर्मा, डॉ. महेश (गौतम बुद्ध नगर)

शर्मा, श्री राम कुमार (सीतामढ़ी)

शर्मा, श्री रामस्वरूप (मंडी)

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी (टिहरी गढ़वाल)

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ (कल्याण)

शिरोले, श्री अनिल (पुणे)

शिवप्रसाद, श्री नारामल्ली (चित्तूर)

शिवाजीराव, श्री आधलराव पाटील (शिरूर)

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह (जोधपुर)

शेट्टी, श्री गोपाल (मुम्बई उत्तर)

शेट्टी, श्री राजू (हातकणगले)

शेवाले, श्री राहुल (मुंबई दक्षिण मध्य)

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी. (भावनगर)

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी (विजयवाड़ा)

श्रीराम, श्री मलयाद्रि (बापतला)

श्रीरामुलु, श्री बी. (बेल्लारी)

श्रीहरि, श्री कदियाम (वारंगल)

संगमा, श्री पूरनो अगितोक (तुरा)

संघमिता, डॉ. ममताज़ (बर्धमान दुर्गापुर)

संजर, श्री आलोक (भोपाल)

सत्पथी, श्री तथागत (धेन्कानल)

सत्यबामा, श्रीमती वी. (तिरूप्पुर)

सम्पत, डॉ. ए. (अट्टिंगल)

सरनीया, श्री नव कुमार (कोकराझार)

सरमा, श्री राम प्रसाद (तेजपुर)

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द (सीकर)

सरेन, डॉ. उमा (झाड़ग्राम)

सलीम, श्री मोहम्मद (रायगंज)

सांपला, श्री विजय (होशियारपुर)

सातव, श्री राजीव (हिंगोली)

सामल, डॉ. कुलमणि (जगतसिंहपुर)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सावंत, श्री अरविंद (मुम्बई दक्षिण)

सावईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव (दक्षिण गोवा)

साहू, श्री चंदूलाल (महासमन्द)

साहू, श्री ताम्रध्वज (दुर्ग)

साहू, श्री लखन लाल (बिलासपुर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुँवर भारतेन्द्र (बिजनौर)

सिंह, कुँवर हरिवंश (प्रतापगढ़)

सिंह, कैप्टन अमरिन्दर (अमृतसर)

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार (गाजियाबाद)

सिंह, डॉ. जितेन्द्र (उधमपुर)

सिंह, डॉ. नैपाल (रामपुर)

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार (बारगढ़)

सिंह, डॉ. भोला (बेगूसराय)

सिंह, डॉ. यशवंत (नगीना)

सिंह, डॉ. सत्यपाल (बागपत)

सिंह, प्रो. साधू (फरीदकोट)

सिंह, राव इंद्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अभिषेक (राजनंदगांव)

सिंह, श्री आर. के. (आरा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गौंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गिरिराज (नवादा)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़-बारां)

सिंह, श्री नागेन्द्र (खजुराहो)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री भरत (बलिया)

सिंह, श्री भोला (बुलंदशहर)

सिंह, श्री रवनीत (लुधियाना)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (लखनऊ)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री रामा किशोर (वैशाली)

सिंह, श्री लल्लू (फैजाबाद)

सिंह, श्री वीरेन्द्र (भदोही)

सिंह, श्री सत्यपाल (सम्भल)

सिंह, श्री सुनील कुमार (चतरा)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्री हुकुम (कैराना)

सिंह, श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी (कंधामल)

सिंह (राजू भैया), श्री राजवीर (एटा)

सिद्वेश्वरा, श्री जी. एम. (दावनगेरे)

सिन्हा, श्री जयंत (हज़ारीबाग)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सिन्हा, श्रीमती रेणुका (कूच बिहार)

सिम्हा, श्री प्रताप (मैसूर)

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह (महाराजगंज)

सुन्दरम, श्री पी. आर. (नामाक्कल)

सुप्रियो, श्री बाबुल (आसनसोल)

सुमन, श्री बलका (पेड्डापल्ली)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीक्करा)

सुरेश, श्री डी. के. (बंगलौर ग्रामीण)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेनगुट्टुवन, श्री बी. (वेल्लोर)

सेनथिलनाथन, श्री पी. आर. (शिवगंगा)

सैनी, श्री राजकुमार (कुरुक्षेत्र)

सोनकर, श्री विनोद कुमार (कौशाम्बी)

सोनकर, श्रीमती नीलम (लालगंज)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (लखीमपुर)

सोमैया, डॉ. किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, डॉ. किरिट पी. (अहमदाबाद)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वाइँ, श्री लडू किशोर (अस्का)

हक़, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज)

हरि, श्री जी. (अराकोनम)

हरिबाबू, डॉ. कंभमपति (विशाखापटनम)

हाँसदा, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज)

हांसदाक, श्री विजय कुमार (राजमहल)

हाज़रा, डॉ. अनुपम (बोलपुर)

हीकाका, श्री झीना (कोरापुट)

हुक्केरी, श्री प्रकाश बा. (चिक्कोडी)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हेगड़े, श्री अनंतकुमार (उत्तर कन्नड़)

हेमामालिनी, श्रीमती (मथुरा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

मंत्रिपरिषद

कैबिनेट मंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी	प्रधानमंत्री तथा निम्न मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारीः (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; (2) परमाणु ऊर्जा विभाग; (3) अंतरिक्ष विभाग; और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे औरअन्य सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।
श्री राजनाथ सिंह	गृह मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री अरुण जेटली	वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री एम. वैंकैय्या नायडू	शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री
श्री नितिन गडकरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर	रक्षा मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	रेल मंत्री
श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा	विधि और न्याय मंत्री

सुश्री उमा भारती	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री
डॉ. नज़मा ए. हेपतुल्ला	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री रामविलास पासवान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री कलराज मिश्र	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी	महिला और बाल विकास मंत्री
श्री अनन्तकुमार	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री अशोक गजपति राजू	नागर विमानन मंत्री
श्री अनन्त गंगाराम गीते	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री
श्री जुएल ओराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह	कृषि मंत्री

श्री थावर चंद गहलोत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	मानव संसाधन विकास मंत्री
डॉ. हर्ष वर्धन	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इंद्रजीत सिंह	योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री राजीव प्रताप रूडी	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री प्रकाश जावड़ेकर	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री पीयूष गोयल	विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री

डॉ. जितेन्द्र सिंह	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
श्रीमती निर्मला सीतारमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री
डॉ. महेश शर्मा	संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राम कृपाल यादव	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिभाई चौधरी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सांवर लाल जाट	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिरिराज सिंह	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हंसराज गंगाराम अहीर	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मनोज सिन्हा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री निहाल चंद	पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उपेन्द्र कुशवाहा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री किरेन रिजीजू	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गूर्जर	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. संजीव बालियान	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रावसाहेब पाटिल दानवे	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विष्णु देव साय	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुदर्शन भगत	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. रामशंकर कठेरिया	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वाई. एस. चौधरी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयंत सिन्हा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
कर्नल राज्यवर्धन राठौर	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बाबुल सुप्रियो	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री
साध्वी निरंजन ज्योति	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय सांपला	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा वाद-विवाद

खंड 7 सोलहवीं लोक सभा के चौथे सत्र का पहला दिन अंक 1

लोक सभा

सोमवार, 23 फरवरी, 2015 / 4 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पैंतीस मिनट पर समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** पीठासीन हुईं]

<u>राष्ट्रगान</u>

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

<u>अपराह्न</u>12.36 **<u>बजे</u>**

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सदस्य द्वारा शपथग्रहण या प्रतिज्ञान करने के लिए उनका नाम महासचिव द्वारा पुकारा जाएगा।

महासचिव : श्रीमती ममता ठाकुर।

श्रीमती ममता ठाकुर (बनगांव) - शपथ - बंगला

अपराह्न 12.37 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण[1]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, महासचिव ।

महासचिव: महोदया, मैं 23 फरवरी, 2015 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[2]**माननीय सदस्यगण,

मैं आशा और आकांक्षाओं से भरपूर इस नववर्ष में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है कि आपकी चर्चा सार्थक और उपयोगी होगी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, "भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है"। हमारी सभ्यता का मूलमंत्र सर्वजन हिताय अर्थात् सबकी भलाई है। मेरी सरकार की मूल नीति **सबका साथ सबका विकास** है। नौ महीने के कार्यकाल में मेरी सरकार ने हमारे देश की पूर्ण क्षमता और 125 करोड़ की बेशकीमती जनशक्ति का सदुपयोग करने की एक व्यापक कार्यनीति तैयार की है। कई क्षेत्रों में कार्रवाई तेज करने के उपाय किए गए हैं जैसे स्वच्छता से लेकर स्मार्ट शहर बनाना, गरीबी उन्मूलन से लेकर समृद्ध बनाना, कौशल विकास से लेकर अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना, आबादी का फायदा लेने से लेकर राजनयिक पहल करना, व्यवसाय को आसान बनाने से लेकर नीतिगत ढांचा तैयार करना, लोगों को सशक्त बनाने से लेकर उत्तम बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना, वित्तीय असमानता को दूर करने से लेकर देश को निर्माण का केंद्र बनाना, मुद्रास्फीति को रोकने से लेकर अर्थव्यवस्था को उन्नत करना, नए विचारों को बढ़ावा देने से लेकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने से लेकर राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। उज्ज्वल भविष्य हमारी राह देख रहा है।

---

[1]सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1796/16/15

[2]** भारत के राष्ट्रपति, महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी ने केन्द्रीय कक्ष में अंग्रेजी में अभिभाषण दिया। भारत के उप-राष्ट्रपति, महामहिम श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने अभिभाषण का हिंदी पाठ पढ़ा।

माननीय सदस्यगण,

गरीबी मानव के गौरवपूर्ण अस्तित्व के लिए अभिशाप है। विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति को महसूस हो कि उसकी न्यूनतम जरूरतें पूरी हो रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हर व्यक्ति के समग्र विकास पर बल दिया था - **एकात्म मानवता दर्शन *(एकीकृत मानवतावाद)*** मेरी सरकार समाज के गरीब, कमजोर और लाभवंचित वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है।

निर्धनता उन्मूलन के लिए वित्तीय समावेशन जरूरी है। मेरी सरकार ने सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री **जन धन योजना** शुरू की है जिसमें बैंक खाते के साथ रूपे डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 13.2 करोड़ नए बैंक खातों, 11.5 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड जारी करने और 11,000 करोड़ रुपए जमा राशि के रिकार्ड के साथ इस योजना के अंतर्गत लगभग 100 प्रतिशत कवरेज हो गई है। यह अभूतपूर्व तक्ष्य छह महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया गया, जिससे यह कार्यक्रम विश्व का इस प्रकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया।

विकासात्मक कार्यक्रमों के लाभ किसी रुकावट एवं बाधा के बिना सबसे अंतिम पात्र तक पहुँचाने के लिए **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम** (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम) को उत्साह के साथ गति दी जा रही है। एलपीजी अनुदान के अंतरण के लिए विश्व के सबसे बड़े प्रत्यक्ष नकद अंतरण कार्यक्रम पहल को 1 जनवरी, 2015 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है जिसमें अब तक 75 प्रतिशत प्रयोक्ता परिवार शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर 35 स्कीमों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संरचना में शामिल किया जा चुका है।आधारित नामांकन को व्यापक बनाने पर विशेष बल दिया गया है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार के लिए स्वच्छता आस्था का विषय है। स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर गरीबों के समग्र जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अक्तूबर, 2019 तक **स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत** का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए **स्वच्छ भारत मिशन** शुरू किया गया है। सरकार ने '**स्वच्छ विद्यालय**' कार्यक्रम शुरू किया है और यह 15 अगस्त, 2015 से पहले हर स्कूल में एक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छता राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ेगा और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जा सकेगा। सफाई और स्वच्छता के लिए लोगों की सोच बदलनी होगी। मेरी सरकार यह आह्वान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग ते में सभी माननीय संसद सदस्यों से यह अपील करता हूँ कि वे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का कम से कम पचास प्रतिशत स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च करें।

भारत गांवों में बसता है। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् सामाजिक आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का सशक्त माध्यम हो सकती है। नई ऊजों के साथ एमजीएनआरईजीएस को लागू करते हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आस्तियों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें स्थायित्व प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है, इसमें व्यय का कम से कम साठ प्रतिशत कृषि अवसंरचना के सृजन पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है मेरी सरकार के केंद्रीय विचार "**हुनरमंद भारत"** को ध्यान में रखते हुए, **"दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना"** और **"दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना**" की घोषणा की गई है। अक्तूबर, 2014 में शुरू की गई **सांसद आदर्श ग्राम योजना** सांसदों की सक्रिय भागीदारी से हमारे गांवों के समन्वित एवं समग्र विकास पर केन्द्रित है।

गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। मेरी सरकार हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर वर्ष **2022** तक **मिशन" हाउसिंग फॉर ऑल"** के अंतर्गत सभी परिवारों, विशेष रूप से अत्यधिक गरीब परिवारों की आवास की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अडिग है। सरकार द्वारा धारित भूमि का लाभ उठाने के लिए और राज्य सरकारों को उनके अपने आवास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में अधिक छूट प्रदान करने के लिए राजकोषीय और गैर राजकोषीय प्रोत्साहनों का एक ढांचा तैयार किया गया है। आवास क्षेत्र में निवेश को सहयोग देने हेतू मेरी सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाया हे, आवास ऋणों के लिए कर संबंधी प्रोत्साहनों में बढ़ोतरी की है और नेशनल हाउसिंग बैंक की मूल निधि में वृद्धि की है।

मेरी सरकार भूमि अर्जन से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्त्व देती है। प्रतिपूर्ति हकदारी सहित किसानों के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम में उपयुक्त सुधार किए गए हैं ताकि अवसंरचना की महत्त्वपूर्ण जन परियोजनाओं और विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, विद्यालयों और अस्पतालों के निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अपेक्षित भूमि अर्जन में आने वाली प्रक्रियागत समस्याओं को कम किया जा सके।

माननीय सदस्यगण,

किसान हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रहरी है। **अन्नदाता सुखीभव** हमारी सभ्यता के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है मेरी सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। इसके लिए मूल्य वर्धित कृषि बाजार सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अप्रयुक्त क्षमता वाले क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत होगी। वर्ष 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा

वर्ष घोषित किया गया है। उत्पादकता और खेत की उपज में मुद्रा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम प्रारंभ की गई है। शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं के लिए 500 करोड़ रुपए की मूल निधि के साथ एक मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित की गई है। प्रत्येक गाँव की सिंचाई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से निरंतर पूरा करने के लिए **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना** प्रारंभ की जा रही है। जैविक खेती और ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी पर विशेष बल देते हुए अल्प संसाधन वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए विस्तार कार्यक्रम तैयार किए गए हैं । देशी पशु प्रजातियों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** शुरू किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से भूमिहीन गरीबों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा, इससे कृषि उत्पाद की लाभकारी कीमत की भी गारंटी मिलती है। आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली हानि में कमी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दुनियादी सुविधाओं का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। 72 अधिसूचित फूड पार्कों में संचालित यूनिटों को कम दरों पर कर्ज देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। पिछले 6 महीने में तुमकुर और फाजिल्का में 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने हेतु दो-दो बड़े फूड पार्क शुरू किए गए हैं।

पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, "गरीबी के अनेक दुष्प्रभाव है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के अलावा यह हमारे लोकतंत्र को भी कमजोर बनाती है। समाज के अत्यंत संवेदनशील और वंचित वर्गों के सर्वाधिक गरीब तबके को साथ लेते हुए सबका समेकित विकास मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। **अनुसूचित जाति**, **अनुसूचित जनजाति**, **अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय** के छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं को सरत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि लाभार्थियों को समय से भुगतान मिल सकें। सरकार ने अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए नई उद्यम पूंजीगत निधि की स्थापना की है। अल्पसंखाकों में परंपरागत कला/शिल्प के क्षेत्र में कौशल व प्रशिक्षण को उन्नत बनाने के लिए एक नई योजना "अपग्रेडिंग दि स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट / काफ्ट्स फॉर डिवलेपमेंट **(उस्ताद)"** आरंभ की जा रही है। **वन बंधु कल्याण योजना** के अंतर्गत जनजातियों के विकास के लिए परिणाम आधारित समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है। अनधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु **नानाजी देशमुख योजना** आरंभ की जा रही है।

माननीय सदस्यगण,

शिक्षा को मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी स्तर पर शिक्षा के परिणामों में सुधार हेतु '**पढ़े भारत बड़े भारत**' योजना शुरू की गई है। स्कूल रहित बस्तियों की पहचान के लिए जीआईएस प्लेटफार्म पर पूरे देश को ताने

की पहल की गई है। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने एवं उनके सशक्तीकरण हेतु **पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन** की शुरुआत की गई है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने हेतु **राष्ट्रीय आविष्कार अभियान** की शुरुआत की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए **ईशान विकास** तथा **ईशान उदय** नामक योजनाएं शुरू की गई है। राष्ट्रीय खेल विकास निधि और **लक्ष्य ओलंपिक पोडियम** के माध्यम से 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना** तैयार की है।

भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पहले से ही कार्यशील आयु समूह में आता है। आबादी के इस लाभांश का फायदा उठाने तथा कुशल कार्यबल में मांग व आपूर्ति के मध्य अंतर को पाटने हेतु मेरी सरकार ने **"हुनर है तो कल्याण है"** के ध्येय के साथ एक नया मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय गठित किया है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोशत विकास को समेकित करने के लिए "**राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति**" पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधावंचित परिवारों के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोशत संबंध क्रियाकलापों में कौशल विकास मॉडल के निर्माण तथा सीएसआर निधि को नियोजित करने हेतु सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहाहै।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार अपने सभी नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को दक्षतापूर्ण और समतापूर्ण कहनीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। परिहार्य शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए भारत **नवजात शिशु कार्य योजना** की शुरुआत की गई है तथा चार **नई वैक्सीन** का अनुमोदन किया गया है। देश भर में 184 अति प्राथमिकता वाले जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वभौमिक इम्प्लाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए '**मिशन इंद्रधनुष**' की शुरुआत की गई है। विकलांगजनों के लिए समावेशी, समर्थ एवं सशक्त वातावरण बनाने के लिए मेरी सरकार ने विकलांगताग्रस्त छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजनाओं की शुरुआत की है। नशा मुक्ति और पुनर्वास के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए टोल फ्री नंबर के साथ एक राष्ट्रीय हेल्प लाइन की शुरुआत की गई है।

अभी हाल ही में मेरी सरकार ने पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतरराष्ट्रीय एवं स्थानीय तरीकों में सुधार के उद्देश्य से और यह मानते हुए कि हमारे गांव हमारी समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के भंडार रहे हैं, आयुष विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया है। किफायती **आयुष** सेवाओं संबंधित शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता की **आयुष** दवाओं की उपलब्ध कराने के लिए **राष्ट्रीय आयुष मिशन** की शुरुआत की गई है।

माननीय सदस्यगण,

प्राचीन काल से ही महिलाओं को हमारे समाज में सम्मान दिया जाता रहा है। मेरी सरकार ने महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने तथा उन्हें सशक्त करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पूर्ण सहायता देने के लिए समन्वित सेवाओं का प्रावधान करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना की जा रही है जिसमें मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय और विधिक एवं मनोसामाजिक परामर्श शामिल हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **हिम्मत** नामक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है।

सन् 1961 से ही शिशु लिंगानुपात में निरंतर कमी होना अत्यंत चिंता का विषय है। इस ट्रेड को बदलना होगा। बेटियों के जीवन, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने **बेटी बचाओ**, **बेटी पढ़ाओ अभियान** की शुरुआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव के लिए है ताकि वे बेटियों के जन्म पर भी हर्षित हों बेटियों की शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु '**सुकन्या समृद्धि खाता**' नामक एक लघु बचत योजना अधिसूचित की गई है। बात अपराध से जुड़े कानून में सुधार हेतु बाल अपराध अधिनियम में संशोधन के उद्देश्य से एक बिल संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण,

श्रमिक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं मेरी सरकार **श्रमेव जयते** में विश्वास रखती है और इसने श्रम कल्याण हेतु अनेक कदम उठाए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने हेतु **प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना** की शुरुआत की गई है। ईपीएफ अंशदान को सरल एवं सुवाह्य बनाया गया है जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत अधिकतम मजदूरी तथा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर क्रमश: 15,000 तथा 1,000 कर दिया गया है। मेरी सरकार रोजगार क्षेत्र के विस्तार तथा कार्मिक कल्याण में सुधार के साथ श्रम संबंधी विनियमों को लागू करने में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति भी कृतसंकल्प है। इसके लिए उद्योग को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने और 16 अलग-अलग रिटर्न फाइल करने के बजाय एक ही ऑनलाइन रिटर्न फाइल की अनुमति प्रदान करके व्यवसाय को आसान बनाने के लिए **श्रम सुविधा पोर्टल** शुरू किया गया है। एक पारदर्शी ऑनलाइन निरीक्षण स्कीम शुरू की गई है। प्रशिक्ष अधिनियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों से अब विधिक ढाँचा, उद्योगों और रोजगार योग्य युवाओं दोनों के लिए अनुकूल हो गया है।

माननीय सदस्यगण,

विधिक सुधार करना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है मेरी सरकार यह मानती है कि **सुशासन** और सुधार **टीम इंडिया** का मिला-जुता प्रयास है जिसमें संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधान मंडल, राज्य सरकारें और भारत के लोग शामिल हैं। इस सामूहिक प्रयास का उदाहरण है -उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार और **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग** की स्थापना। का कानून । सरकार पुराने और अव्यावहारिक कानूनों को निरस्त करने के लिए वचनबद्ध है। इस प्रयोजनार्थं गठित समिति ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1741 केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त करने के लिए पहचान की है।

अधिकतम सुशासन न्यूनतम सरकार मेरी सरकार का दिशानिर्देशक सिद्धांत है। दूरवर्ती क्षेत्रों में निर्धनतम व्यक्ति तक सुशासन लाने के उद्देश्य से टैक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार में निर्णय लेने के स्तरों को कम करने तथा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रि समूह की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और त्वरित निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है। यद्यपि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदमों के प्रावधान किए जा रहे हैं; तथापि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि लोक हित में लिए गए सद्भावपूर्ण निर्णयों को संरक्षण प्रदान किया जाए जिससे सिविल सर्विस में विश्वास को प्रोत्साहित किया जा सके।

मेरी सरकार शासन तथा नीति-निर्धारण प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के प्रति हद संकल्प है। इस आशय से बिल्कुल एक नई एवं अनूठी पहल **My Gov ऑन लाइन प्लेटफॉर्म** शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म ने नीति निर्धारण में लोक सहभागिता को सुनिचित किया है तथा विभिन्न राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना तथा नीति आयोग के बारे में जनता के विचारों को जानने में अहम भूमिका निभाई है।

मेरी सरकार ने ज्ञान आधारित परिवर्तन तथा सेवा उन्मुख नागरिक केंद्रित पारदर्शी शासन के लिए भारत को तैयार करने के लिए अम्ब्रेला (समावेशी) कार्यक्रम **डिजिटल इंडिया** की परिकल्पना की है। आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली तथा **जीवन प्रमाण,** आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पोर्टल से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रौद्योगिकी के नए प्रयोग द्वारा व्यापक अंतर लाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों, उत्तर-पूर्व एवं अन्य दूरस्थ इलाकों में डिजिटल समावेशन के कार्य को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसरों का सृजन होगा। इलेक्ट्रॉनिक माल के निर्माण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

मेरी सरकार शक्ति के विकेन्द्रीकरण के प्रति कृतसंकल्प है और इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन निकाय- **दि नेशनल**

इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया-नीति आयोग बनाया गया है। **नीति आयोग** का अंतर्निहित उद्देश्य हे सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना ताकि गरीबों को सशक्त बनाने पर बल देते हुए विकास के लिए सर्वमान्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें एक प्लेटफार्म पर आएं।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार के सतत् प्रयासों तथा नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पुनः उच्च विकास पर है। हाल के अनुमानों के अनुसार, हमारी जीडीपी 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है, जिसने भारत को विश्व में तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। सरकार द्वारा कई निर्णायक कदम उठाने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति में रिकॉर्ड कमी आई है। नियत पूंजी निर्माण, जिसने पिछले कुछ वर्षों में लगभग ठहराव का सामना किया है, उसमें वृद्धि हुई है। पूंजी बाजार ऊँचाई के स्तर पर है हमारा बाढ़ा क्षेत्र अब कहीं अधिक सुदृढ़ है, विशेषतः सामान्य चालू खाता घाटा तथा व्यापक तौर पर स्थिर रूपया हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

मेरी सरकार ने कर प्रणाली में व्यापक कार्यकुशलता तथा साम्यता ताने के लिए अपने प्रयासों को तीव्र किया है। व्यय प्रबंधन में मितव्ययिता भी हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। **माल एवं सेवा कर** को लाने के लिए एक संविधान (संशोधन) विधेयक लाया गया है जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाएगा कर आधार को व्यापक बनाएगा जिससे कर नियमों का बेहतर अनुपालन होगा।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर काले धन के सृजन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है। इन उपायों को मजबूत विधायी एवं प्रशासनिक ढांचे, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए लागू किया गया है जिसमें क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना के एकीकरण तथा मुकदमों का तुरंत निपटान करना शामिल है।

वित्तीय क्षेत्र की संस्थागत पुनर्संरचना एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। मेरी सरकार वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में तेजी लाएगी। सेबी के नए विदेश पोर्टफोलियो निवेश विनियमनों द्वारा एक समान, सरत विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है। बीमा नियम (संशोधन) अध्यादेश, 2014 द्वारा भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण को सुरक्षित रखते हुए विदेशी इक्विटी भागीदारी को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इससे पूंजी की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी एवं बीमा सेवाओं की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सुनिश्चित की जा

सकेगी। बैंकिंग प्रणाली के विस्तार हेतु छोटे बैंकों एवं भुगतान बैंकों को अनुमति दी जा रही है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सरल करके और तर्कसंगत बनाकर '**व्यवसाय करने को आसान बनाने**' के लिए अनेक पहल की है। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मुख्य कार्यनीति है। **हब- स्पोक** मॉडल में सिंगल विंडो को वास्तविक रूप दिया जा रहा है। अब औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन के लिए आवेदन eBiz वेबसाइट पर 24x7 ऑनलाइन किया जा सकता है। बहुत से प्रवेश और निर्गम विनियमों को सरल बनाया गया है।

मेरी सरकार ने **"मेक इन इंडिया'** कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य स्वस्थ पारितंत्र के माध्यम से भारत को विनिर्माण हब में बदलना है। रेलवे के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में आवश्यक पूंजी आधुनिक प्रौद्योगिकी और विश्वव्यापी बेहतर प्रक्रियाएं लाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के अधीन 49 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। निर्माण और विकास क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों में छूट दी गई है। भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इनवर्टिड ड्यूटीज़ का निरंतरमूल्यांकन किया जा रहा है। अनुसंधान और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। अधिक से अधिक रोजगार के सृजन के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देते हुए मेरी सरकार सेवा क्षेत्र में अपनी प्रबत क्षमताओं पर भी कार्य करती रहेगी।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विकसित करके भारत के उद्यमों की वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। एमएसएमई उद्यमों के 21 समूहों को कला कौशत और सार्वजनिक सुविधाएं 965 गतिविधियों के जरिए प्रदान की जा रही है। देश के सीमावती, पहाड़ी और गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग और पारंपरिक उद्योग लगाने का काम शुरू किया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर वित्तीय पहुंच और उन्हें बाजार से जोड़ने का है।

कृषि के बाद कपड़ा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, इसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे रोजगार प्रदान किया जा रहा है औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का 17वीं हिस्सा है और यह देश की विदेशी मुद्रा प्रवाह का एक चौथाई से अधिक है। इस क्षेत्र की वृद्धि और संपूर्ण विकास का हमारी अर्थव्यवस्था विशेषकर गरीब शिल्पकारों के सुधार से सीधा संबंध है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों में व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना करने, वस्त्र विपणन को ऑन-लाइन करने, तकनीकी वस्त्र उद्योग के लिए प्रेत्साहन देने, पश्मीना को बढ़ावा देने, देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कवरेज को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने जैसे हाल ही में किए गए प्रयासों से इस क्षेत्र की प्रगति होगी।

माननीय सदस्यगण,

हमारे शहर आर्थिक विकास के वाहक है मेरी सरकार हमारे शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं और आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए वचनबद्ध है। जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना पर विशेष ध्यान देते हुए **राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन** को अंतिम रूप दिया जा रहा है स्टेकहोल्डर के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद **स्मार्ट शहर कार्यक्रम** को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। ये दोनों कार्यक्रम परस्पर संबद्ध है और इससे हमारा देश तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण के लिए तैयार होगा।

माननीय सदस्यगण,

आर्थिक विकास को तीव्र करने और आर्थिक वृद्धि में सुधार करने के लिए सुद्ध अवसंरचना का होना अनिवार्य है। भारतीय रेल हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। मेरी सरकार बेहतर सेवाएं, बेहतर यात्री सुरक्षा, मातवाहन की गति में वृद्धि करके इस क्षेत्र में सुधार करने और जीवंतता लाने के लिए वचनबद्ध है। दो डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) यथा पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी के वर्ष 2019 तक चालू होने की संभावना है। दिल्ली, मुंबई, चेने और कोलकाता को जोड़ने वाली द्रुत गति की रेल चलाने की हीरक चतुर्भुज (डायमंड काट्टितेल) परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अहमदाबाद और नागपुर के लिए मेट्रो रेल परियाजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।

राजमार्ग क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई नीतिगत प्रयास किए गए है। देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए "**राष्ट्रीय राजमार्ग अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड**" की स्थापना की गई है। राजमागाँ और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की दशा में सुधार करने के लिए नए मानक स्थापित किए गए हैं और विशिष्ट राजमागों पर निर्वाध यातायात शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टॉल स्थापित किए गए हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन पृथक श्रेणी के रूप में ई-रिक्शा और ई-गाड़ी शुरू किए गए हैं जिससे यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी और हजारों नौकरियाँ सृजित होगी।

मेरी सरकार ने नौवहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसमें भारतीय जहाजों को उनकी पूर्ण उपयोगिता अवधि के लिए लाइसेंस देना, भारतीय जहाजों को देश से बाहर के समुद्रों में जाने की अनुमति देना, बंकर ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करना और टूटे हुए जहाजों के स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क कम करना शामिल है। सरकार ने तटीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रवासी समुदायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए "सागर माला" परियोजना भी तैयार की है। "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत जहाज को डिजाईन करने की क्षमता, जहाज निर्माण और जहाज-मरम्मत के कार्यों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। भारतीय जहाजों की टन क्षमता को बढ़ाने और बंदरगाहों पर लगने वाले समय को कम करने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की जा रही है। 'जल मार्ग विकास' परियोजना द्वारा

जलमार्ग के जरिए परिवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों के व्यापक विकास के लिए संस्थागत प्रबंधन पर विचार किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

पावर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान 17,830 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2015 तक 76 प्रतिशत क्षमता हासिल कर ली गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे गुणात्मक पावर की आपूर्ति के लिए 43,000/- करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय से **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** एवं 32,600/- करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय से **इंटीग्रेटिड पावर डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ** की गई है। सुदूर क्षेत्रों में बिजली रहित गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। हम उच्च क्षमता वाले पावर कॉरिडोर का विकास करके राष्ट्रीय ग्रिड को विकसित एवं सुद्ध करने पर बल देंगे। बिजली क्षेत्र में और अधिक सुधारों के लिए विदयुत (संशोधन) विधेयक, 2014 प्रस्तुत किया गया है। **राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन एवं ऊर्जा बचत** की महत्त्वाकांक्षी स्कीमें भी प्रारंभ की गई हैं।

मेरी सरकार **स्वच्छ ऊर्जा** पर अत्यधिक जोर देती है यह महत्त्वपूर्ण है कि अगले सात वर्षों में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है 25 मेगा सौर पार्कों की स्थापना की स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है। **हरित ऊर्जा कॉरिडोर** स्कीम के कार्यान्वयन को गति प्रदान की गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं की स्थापना पर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। निवेशकों को आकर्षित करने के मेरी सरकार के प्रयास सफल रहे हैं। इसी प्रकार बायोमास और जल विद्युत पर भी ध्यान दिया जा रहा है सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के उच्चतम वैश्विक मानकों के आधार पर भारत की नाभिकीय विदयुत क्षमता को और बढ़ाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़े सुधार हुए है। डीजल की कीमतों को सरकार ने नियंत्रण मुक्त कर दिया है और अब कीमतें बाजार भाव पर आधारित है। पेट्रोल की कीमत में भी 17 रुपए प्रति लीटर से अधिक की कमी आई है। सरकार ने गैस कीमतों में संशोधन के काफी समय से लंबित मुद्दे संबंधी सारी भ्रांतियों को समाप्त कर दिया है और राष्ट्रहित में एक न्यायोचित नीति बनाई है। पेट्रोल में एथनॉल का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए और गन्ना किसानों की मदद के लिए एथनॉल नीति को संशोधित किया गया है।

मेरी सरकार प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की अभीष्टतम उपयोगिता एवं पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया इस प्रकार से प्रारंभ

की गई है जिससे देश में विद्युत के उत्पादन की लागत में कमी आएगी एवं विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराया जा सकेगा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम एवं अन्य अनिवार्य सामग्री के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकेगी। खानों के आवंटन से खनिजों और कोपले वाले राज्यों, विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए वृहत संसाधन भी प्राप्त होंगे। इस संबंध में मेरी सरकार द्वारा शीघ्र और समय पर की गई कार्रवाई ने खानों के बंद होने को रोका जिनके बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो जाते। आगामी वर्षों में, मेरी सरकार खनन संबंधी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने के लिए और कोयले के घरेलू उत्पादन को 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करेगी।

माननीय सदस्यगण,

मानव सभ्यता के लिए जल अनिवार्य है गंगा नदी का हमारे देश की सामूहिक चेतना में एक विशेष स्थान है। "**नमामि गंगे"** एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन 2000/- करोड़ रुपए से अधिक के बजटीय आवंटन के साथ प्रारंभ किया गया है। सरकार विधिवत परामर्श प्रक्रिया के साथ नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और स्वच्छ पर्यावरण के संवर्धन के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। सीमेंट उद्योग के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 17 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में औद्योगिक यूनिटों की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रारंभ कर दी गई है और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रारंभ कर दिया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (केम्पा) को सुद्ध किया जाएगा और त्वरित वनीकरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पर्याप्त धनराशि जारी की जाएगी। सरकार ने पारदर्शिता तथा राज्य सरकारों के सशक्तीकरण द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अनुमोदन की प्रक्रिया को सरत बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जुलाई, 2014 से पर्यावरण, वन एवं सीआरजेड संबंधी अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

माननीय सदस्यगण

पर्यटन क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन में वृद्धि करने एवं उसे कायम रखने के लिए एक नई पर्यटन नीति तैयार की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यात्रा का प्राधिकार देने के साथ "**आगमन पर पर्यटक वीज़ा**" को 44 देशों के लिए लागू कर दिया गया है। प्रमुख पर्यटक एवं तीर्थस्थानों में अवसंरचना एवं सुविधाओं को उन्नत बनाया जा रहा है। कई तीर्थ स्थानों में नदी घाटों को नवीकृत किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय विरासत के पर्यटन स्थलों एवं स्मारकों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। **ज्योतिर्लिंग सर्किट,** सुखमंगल सर्किट एवं दक्षिण धाम सर्किट के लिए विशेष पर्यटक रेल गाड़ियां प्रारंभ की गई है। पर्यटक सर्किटों के विकास

के लिए "**स्वदेश दर्शन**" नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसमें कृष्ण सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, बुद्ध सर्किट एवं उत्तर-पूर्व सर्किट शामिल है। सरदार पटेल की स्मृति में स्टेचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार शहरों की संस्कृति को बनाए रखने एवं उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो कि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। पहले चरण मे '**हेरीटेज डेवलपमेंट एण्ड ऑगमेन्टेशन योजना (हृदय)**' को प्रारंभ कर दिया गया है जिसमें 12 शहर शामिल है जिसका उद्देश्य इन शहरों की मूर्त एवं अमृत सांस्कृतिक संपत्तियों का संरक्षण करना है।12 तीर्थ स्थानों के पुनर्जीवन के लिए **"प्रसाद पिल्ग्रमिज रीजुवेनेशन एण्ड स्पिरिचूऐलिटी ऑगमेन्टेशन ड्राइव"** नामक एक विशेष योजना घोषित की गई है जिसे **"हृदय**" योजना के साथ समन्वित रूप से लागू किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है मेरी सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावित लोगों एवं प्रभावित राज्यों की सरकारों के समन्वित सहयोग के साथ पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

जम्मू और कश्मीर का हमारी सरकार के एजेंडा में महत्त्वपूर्ण स्थान है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में विशेष तौर पर इसके विस्थापित लोगों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया है। इसमें 60,000 से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास को सुगम बनाना शामिल है। सरकार ने इस संबंध में कारगर कदम उठाए हैं। इसमें अन्य कार्यों के साथ-साथ सरकारी नौकरियां, आर्थिक अवसर और सुरक्षा उपलब्ध करवाना शामिल है। राज्य में अभी हाल ही में आई अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति केदौरान मेरी सरकार ने इस आपदा के प्रभाव को कम करने और पुनर्वास उपायों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से विशेष प्रयास किए हैं। जम्मू और कश्मीर में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत अभियानों के दौरान उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्र हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों का ऋणी है।

किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली जान-माल की हानि से बचने का एकमात्र उपाय उच्चस्तरीय आपदा प्रबंधन है। केन्द्र सरकार के साथ आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की राज्य सरकारों द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी ये तैयारियाँ अत्यधिक भीषण तूफान **हुदहुद** का सामना करने के दौरान दिखाई दीं।

मेरी सरकार सक्षम, शिष्ट एवं प्रभावी नागरिक सेवा प्रदान करने एवं महिला पुलिस कार्मिकों सहित पुलिस कार्मिकों की ऑपरेशन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **स्मार्ट पुलिस** (स्मार्ट परंतु संवेदी, आधुनिक एवं गतिमान, सतर्क एवं जिम्मेदार, विश्वसनीय

एवं तत्पर, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली एवं प्रशिक्षित) की अवधारणा को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार रक्षा अर्जन योजनाओं में "मेक इन इंडिया" पर अत्यधिक बल देते हुए हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को त्वरित कर रही है। स्वदेशी रक्षा उद्योग को विस्तारित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं जिनमें रक्षा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण, नई रक्षा निर्यात नीति, रक्षा निर्यात के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए उदारीकृत प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी विकास निधि शामिल हैं। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को प्रेरित करने एवं आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली रक्षा क्षेत्र से संबंधित मदों की सूची में कटौती की गई है।

माननीय सदस्यगण,

अंतरिक्ष में हमारे क्रियाकलापों में प्रभावशाली प्रगति हो रही है। 24 सितम्बर, 2014 को मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर भारत पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल करने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया है। हमने 19 दिसम्बर, 2014 को **जीएसएलवी मार्क**-III की पहली प्रायोगिक उड़ान का सफल प्रक्षेपण किया है जिससे हम निकट भविष्य में अधिक भार वाते उपग्रहों का प्रक्षेपण कर पाएंगे मेरी सरकार शासन, सामाजिक और आर्थिक विकास और संसाधन प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करने के लिए कटिबद्ध है। मेरी सरकार ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास और सार्क देशों के मध्य साझेदारी को बढ़ाने हेतु सार्क देशों के लिए एक उपग्रह प्रक्षेपित करने का निर्णय भी लिया है।

मेरी सरकार दूरवर्ती क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएम चरण 11 69 नगरों में 135 रिक्त चैनलों के लिए एफएम चरण-III के पहले बैच के एक भाग के रूप में नीलामी आयोजित की जाएगी। इससे एफएम चरण-II का एफएम चरण-III में रूपांतरण भी सुगम हो जाएगा। इससे प्राइवेट एफएम रेडियो एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती कस्बों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और द्वीप राज्य क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से पहुंच जाएगा।

हमारे समक्ष आने वाली विकास संबंधी चुनौतियां ही विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को राय करेंगी। अनुसंधान और विकास के लिए और अधिक संसाधनों का उपयोग करने, विश्वस्तरीय अनुसंधान केंद्रों का निर्माण करने, युवा प्रतिभा को विकसित करने और विश्व के सबसे बड़े ऑटिकत 'तीस मीटर टेलीस्कोप' सहित अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण,

यह मानते हुए कि हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है, मेरी सरकार ने पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में नई जान फूंकी है और यह दक्षिण एशिया में और अधिक सहकारिता और मेल-मिलाप को बढ़ावा दे रही है साथ ही हम अपने हितों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा और अपनी जनता की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा से हमारे सबसे बड़े पड़ोसी चीन के साथ हमारे संबंध काफी बड़े हैं जो परस्पर सम्मान और एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता पर आधारित है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा ने रूस के साथ हमारी समय की कसौटी पर खरी उतरी स्ट्रेटेजिक भागीदारी में विश्वास और गति को फिर से कायम किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में ऐतिहासिक यात्रा ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुँचा दिया है। आने वाले समय में हमारी आकांक्षा यूरोप के साथ और गहन सहयोग करने की है। जापान के साथ गहन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी रिश्ता हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अधिक सक्रिय एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में अग्रणी है जो दक्षिणपूर्व एशिया के साथ हमारे संबंधों की नींव पर टिकी है और अब यह बढ़कर ऑस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक द्वीपों तक फैल गई है। हम पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकाज़ के साथ गहनंतर संपर्क के लिए वचनबद्ध हैं।

मेरी सरकार संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार लाने और इन संस्थाओं में भारत को उचित स्थान दिलाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करती रहेगी। हम क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समूहों में भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार के प्रयासों से विश्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की मान्यता में वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रधान मंत्री के आह्वान के ठीक 75 दिनों में संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर, 2014 को 193 सदस्य देशों में से रिकॉर्ड 177 सह समर्थकों के साथ 21 जून को '**अंतरराष्ट्रीय योग दिवस**' घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

मेरी सरकार ने विदेश में भारतीय समुदाय तक पहुंचने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किया है। महात्मा गांधी की भारत में वापसी की 100वीं वर्षगांठ को इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस में मनाया गया। इन प्रयासों से प्रेरित होकर विदेशी भारतीय समुदाय आज न केवल भारत से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है बल्कि भारत के बदलाव के आह्वान में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए और अधिक उत्साहित भी है। पीआईओ और ओसीआई

कार्ड धारकों पर हमारे निर्णय का विदेश में भारतीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

हमारी संसद लोकतंत्र का परम पावन स्थल है। भारत के लोगों, विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों के अत्यधिक निर्धन लोगों ने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस संस्था में अटूट विश्वास दिखाया है। मेरी सरकार सुचारु विधायी कार्य संचालित करने और संसद में ऐसे प्रगतिशील कानूनों को बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगी, जो लोगों की इच्छा एवं आकांक्षाओं को दर्शाता हैं। मैं संसद के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग और आपसी सद्भावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। प्रत्येक नागरिक की देश प्रेम की शक्ति से हम सबको एकजुट होकर एक सशक्त और आधुनिक भारत के निर्माण हेतु कार्य करना चाहिए। **एक भारत श्रेष्ठ भारत**।

जय हिंद।

अपराह्न 12.38 **बजे**

अध्यक्ष द्वारा घोषणा
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जैसा कि माननीय सदस्यों को 20 फरवरी, 2015 के लोक सभा समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं आज शाम पांच बजे तक सभा पटल पर रखी जा सकती हैं।

———————

अपराह्न 12.39 **बजे**

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण ,मुझे दो पवित्र मस्जिदों के आभिरक्षक और सऊदी अरब साम्राज्य के सम्राट अबदुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सउद के दुखद निधन की सूचना देनी है। सम्राट अबदुल्ला के निधन से सऊदी अरब साम्राज्य ने अपने प्रिय राजा को खो दिया है।

उनके नेतृत्व में, सऊदी अरब साम्राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई और समृद्धि आई। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसे समस्त वैश्विक समुदाय द्वारा सराहा गया। हम, भारत में उन्हें एक मित्र और शुभ चिंतक के रूप में स्मरण करते हैं जिनकी जनवरी 2006 में ऐतिहासिक भारत यात्रा के फलस्वरूप हमारे द्विपक्षीय संबंधो में एक अच्छे अध्याय का शुभारंभ हुआ। सम्राट अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत के सऊदी अरब साम्राज्य के साथ गहन और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय समुदाय के लोगों के भारी संख्या में सऊदी अरब जाकर वहां बसने से इन संबंधों में और आधिक मजबूती आई है।

हम सम्राट अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मैं सभा की ओर से और अपनी ओर से शोक संतप्त परिवार और सउदी अरब साम्राज्य की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। माननीय सदस्यगण ,, मुझे सभा को चार पूर्व सदस्यों, श्री जी.वेंकटस्वामी, मेजर रंजीत सिंह, डा.सरोजनी महिषी और डा.रामानायडू दग्गुबटी के दुःखद निधन के बारे में सूचना देनी है। श्री जी.वेकटस्वामी चौथी, पांचवीं, छठी, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवी और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे थे। उन्होंने चौथी, पांचवी और छठी लोक सभा में आंध्र प्रदेश के सिद्धिपेट संसदीय़ निर्वाचन

क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और चौदहवीं लोक सभा में आंध्र प्रदेश के पेड्डापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब तेलंगाना में है, का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल प्रशासक, श्री वेंकटस्वामी ने केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में विभिन्न विभागों को सफलतापूर्वक संभाला। उन्होंने श्रम और वस्त्र मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम और पुनर्वास तथा आपूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में कार्य किया।

इससे पूर्व श्री वेंकटस्वामी वर्ष 1957 से 1962 और 1978 से 1984 तक दो कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में श्रम और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

एक प्रतिबद्ध संसदविद् के रूप में श्री वेंकटस्वामी ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री जी.वेंकटस्वामी का 85 वर्ष की आयु में 22 दिसम्बर, 2014 को हैदराबाद में निधन हो गया। मेजर रंजीत सिंह उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे।

एक वयोवृद्ध स्वंतंत्रता सेनानी, मेजर रंजीत सिंह ने 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और तत्पश्चात् वे सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध में राष्ट्र के लिए वीरतापूर्वक लड़े।

विद्वान पुरुष, मेजर रंजीत सिंह ने "अवेक, अराइज और पेरिश" तथा "इन टाइगर्स ट्रैक्स" नामक दो पुस्तकें और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हिन्दी महाकाव्य की रचना की।

वे एक समर्पित खिलाड़ी भी थे। वे सन् 1944 में आखिल भारतीय कम वजन की कुश्ती के चैम्पियन थे। मेजर रंजीत सिंह का 90 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर

में 4 जनवरी, 2015 को निधन हो गया। डा.सरोजनी महिषी कर्नाटक के धारवाड़ उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी से छठी लोक सभा तक सदस्य थीं।

एक सुयोग्य संसदविद्, डा.महिषी ने वर्ष 1969 से 1971 तक संघ सरकार में पर्यटन और नागर विमानन उप मंत्री के रूप में, वर्ष 1971 से 1974 तक पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री के रूप में और वर्ष 1974 से 1976 तक विधि, न्याय और कंपनी कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वे लोक सभा की सभापति तालिका की सदस्य भी रहीं और उन्होंने छठी लोक सभा के दौरान ग्रंथालय समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया ।

डॉ. महिषी वर्ष 1983 से 1990 तक दो कार्यकाल के लिए राज्य सभा सदस्य भी रहीं और उहोंने वर्ष 1984 से 1985 तक राज्य सभा के उप-सभापिति के रूप में कार्य किया। डॉ. महिषी महिलाओं, बच्चों और युवाओं से संबंधित कई एसोसिएशनों से भी संबंद्ध रही थीं और उन्होंने महिलाओं और बच्चों में शिक्षा के प्रसार के लिए गंभीर प्रयास किया। डॉ. महिषी एक लब्धप्रतिष्ठ लेखिका थीं और उन्होंने कन्नड़ और हिंदी में 18 पुस्तकें लिखीं। डॉ. सरोजनी महिषी का 25 जनवरी, 2015 को 88 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में निधन हो गया।

डॉ. रामानायडू दग्गुबटी आंध्र प्रदेश के बापाटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान वे विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

विख्यात बहुभाषीय फिल्म निर्माता के रूप में डॉ. रामानायडू ने हिंदी, तेलगु, तमिल, कन्नड़ और बंगाली भाषा में सौ से आधिक फिल्मों का निर्माण किया। भारतीय सिनेमा में अपने जीवनकाल के दौरान सवारधिक फिल्मों का निर्माण करने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है।

डॉ. रामानायडू को वर्ष 2012 में तेलगु सिनेमा के लिए उनके योगदान को देखते हुए पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2009 में फिल्म उद्योग के लिए उनके उत्कृष्ट

योगदान को देखते हुए लाइफ टाईम अचीवमैंट के लिए दादासाहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। डॉ. रामानायडू का 79 वर्ष की आयु में 18 फरवरी, 2015 को हैदराबाद में निधन हो गया। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मैं सभा की ओर से और अपनी ओर से शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ।

माननीय सदस्यगण , असम के चिरंग, सोणितपुर और कोकराझार जिलों में 23 और 24 दिसम्बर, 2014 को हुए आतंकवादी हमलों में 81 लोग मारे गए हैं।

सभा इन कायरतापूर्ण आक्रमणों पर अपना गहरा दुःख व्यक्त करती है जिनके कारण शोक-संतप्त परिवारों को दुःख और पीड़ा पहुंची है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 12.45 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.47 **बजे**

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध 2014) दूसराअध्यादेश, (2014 का संख्यांक 7)।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1797/16/15)

(2) राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 8) |

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1798/16/15)

(3) राष्ट्रपति द्वारा 3। दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014(2014 का संख्यांक 9)।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1798क/16/15

(4) राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 1)।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1799/16/15)

(5) राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015(2015 का संख्यांक 2) ।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1800/16/15)

(6) राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित खान और खनिज (विकास और विनियमन)संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 3)।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1801/16/15)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू): श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी की ओर से, मैं नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 1) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1802/16/15)

माननीय अध्यक्ष: सभा कल 24 फरवरी, 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न</u> 12.48 <u>बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, *24* फरवरी, *2015 / 5,* फाल्गुन*,1936 (*शक*)* के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित